128/2021/I/115550/2021-71-2099/255/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 22 नवम्बर, 2021**

विषयः- किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार प्रायोजना में प्रयुक्त उच्च विशिष्टियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-12426/योजना अनु0/2020, दिनांक 18.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार कार्य के पुनरीक्षित आगणन रू0 8164.87 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार प्रायोजना हेतु उपलब्ध कराए गए पुनरीक्षित आगणन रू0 8164.87 लाख के सापेक्ष पुनरीक्षित आगणन रू0 7044.75 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तावित दोनों भवनों को जोड़ने हेतु 432 व0मी0 कनेक्टिंग कोरीडोर तथा 982.80 व0मी0 रैम्प का निर्माण नवीन कार्य है इन कार्यों को पुनरीक्षित प्रायोजना में सम्मिलित न किया जाय बल्कि पृथक/नवीन आगणन गठित कर प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

(2) प्रायोजनान्तर्गत जुलाई, 2017 से पूर्व क्रियान्वित किये गये कार्यों पर वैट/सर्विस टैक्स तथा जुलाई, 2017 के उपरान्त किये गये/किये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लागत अनुमन्य की गयी है। जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक देय धनराशि के आधार पर अनुमन्य होगी।

(3) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजक हेतु रू0 12.50 लाख का प्राविधान किया गया है। इसका विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से वास्तविकता के आधार पर प्राप्त कर भुगतान किया जाय।

(4) कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों की परीक्षण किया गया है। मात्राओं की निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रशासनिक विभाग का होगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूँकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनका शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है। अतः यह अपेक्षित है कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

(7) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया।

(8) प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इस आशय का उल्लेख संबंधित आदेश में भी किया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अतर्गत न तो स्वीकृत है और न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26-08-2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(12) यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की के0जी0एम0यू0 की होगा।

(13) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य-योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(14) चालू कार्यों के लिए वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही के0जी0एम0यू0 द्वारा की जाएगी।

(15) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(16) प्रायोजना के कार्य यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।

(17) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

(18) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मंत्रि-परिषद के अनुमोदनोपरांत सम्यक विचारोपरांत श्री राज्यपाल किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के लारी कार्डियोलॉजी विभाग के विस्तार प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों जैसे-लिफ्ट फेसिया पर ग्रेनाइट, सीलिंग हाइट तक टाइल्स, मैकेनाइज्ड कार पार्किंग सिस्टम, केन्द्रीय वातानुकूलन (वी0आर0वी0/वी0आर0एफ0), मेडिकल गैस सिस्टम, एयर वेन्टीलेशन सिस्टम, वुडेन पार्टीशन एवं वेनेशिंग ब्लाइण्ड आदि पर अपनी सहर्ष स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा अशासकीय पत्र संख्या- ई-3-538/दस-2021-2022, दिनांक 18.11.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- उपरोक्तानुसार-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. नोडल अधिकारी, बजट आंवटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
8. विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
9. इकाई प्रभारी, इकाई-10, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, उ0प्र0, लखनऊ।
10. श्री दिनेश राज, अधिशासी अभियन्ता (सिविल), निर्माण विभाग, के0जी0एम0 यू0, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिददीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 128
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/1/2021 12:45:00 PM
Change Number: 4
Last Saved On: 12/1/2021 12:49:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 2 Minutes
Last Printed On: 12/1/2021 12:50:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 897 (approx.)
Number of Characters: 5,117 (approx.)